RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक १७] शुक्रवार, जून २, २०१७/ज्येष्ठ १२, शके १९३९ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ६ मई २०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. VII OF 2017.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७, सन् २०१७।

मुम्बई नगर निगम अधिनियम तथा महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (जिसे इसमें आगे, "उक्त अध्यादेश" कहा गया है) ८ जनवरी, २०१७ को प्रख्यापित किया है ; सन् २०१७ का महा.३।

और क्योंकि ६ मार्च, २०१७ को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमडंल के अधिनियम में बदलने के लिये, मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) विधेयक, २०१७ (सन् २०१७ का विधानसभा विधेयक क्रमांक २), १५ मार्च २०१७ को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ;

और क्योंकि तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ७ अप्रैल २०१७ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३(२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् १६ अप्रैल २०१७ को प्रवृत्त होने से परिविरत हो जाएगा ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया है ;

और क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधन हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हें, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते है, अर्थात् :–

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१७ कहलाए।

(२) यह ८ जनवरी २०१७ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय दो

मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १८८८ का ३की धारा १५२क में संशोधन।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १५२क की, उप-धारा (१) में, " प्रत्येक वर्ष शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा जो, ऐसे भवनों पर उद्ग्रहणीय संपत्ति कर के दुगने के समान होगी " शब्दों के स्थान में निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १८८८ का ३।

" ऐसे भवनों पर निगम द्वारा विनिश्चित किये जाये ऐसे दर पर शास्ति का भुगतान करने के लिये दायी होगा"।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन १९४९ का ५९ की धारा २६७क में संशोधन।

३. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा २६७क की उप-धारा (१) में, " प्रत्येक वर्ष शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा जो, ऐसे भवनों पर उद्ग्रहणीय संपत्ति कर के दुगने के समान होगी " शब्दों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९४९ का ५९।

" ऐसे भवनों पर, निगम द्वारा विनिश्चित किये जाये ऐसे दर पर शास्ति का भुगतान करने के लिये दायी होगा"।

अध्याय चार

विविध।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

४. (१) इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम, या, यथास्थिति, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, **राज्य सरकार,** जैसा कि अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अध्यादेश द्वारा यथा उपबंधित सुसंगत अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो। सन १८८८ का ३। सन १९४९ का ५९।

(२) उप-धारा (१) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश, यथासंभव शीघ्र, उसके जारी करने के पश्चात्, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ३। सन् १९४९ का ५९।

५. (१) मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, एत्द्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ३ का निरसन और व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर नियम निगम अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई भी कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित सुसंगत अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई, या यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

संदेह का निराकरण।

६. संदेह के निराकरण के लिये एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के सभी उपबंध प्रवृत्त बने रहेंगे और प्रवृत्त बने रहे समझे जायेंगे। सन् १८८८ का ३। सन १९४९ का ५९। सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ३।

वक्तव्य।

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा १५२क तथा महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा २६७क अनधिकृत भवनों पर शास्ति के उद्ग्रहण का उपबंध करती है।

उक्त धाराओं की उप-धारा (१) द्वारा यह उपबंध किया गया है कि, उन अधिनियमों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पूर्वानुमति के बिना या अनुमति से संलग्न उपबंधों के उल्लंघन में उनकी भूमि पर या प्रादेशिक तथा नगर योजना से संबंधित विधि के अनुमोदन के बिना स्थल पर है या उसकी भूमि पर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के किसी उपबंधों का उल्लंघन या उन अधिनियमों के अधीन दिए गए किसी निदेशन या मांग का उल्लंघन करता है या निगम से संबंधित या निगम द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर या केंद्र या राज्य सरकार या ऐसे सरकार द्वारा बने हुए सांविधिक संगठन या कंपनी है जो भी किसी भवन या भवन के हिस्से का अवैध रूप से संनिर्माण या पुनर्निर्माण करता है तो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह जब तक ऐसा भवन शेष अनधिकृत है तब तक ऐसे भवन पर प्रत्येक वर्ष शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा, जो ऐसे भवनों पर उद्ग्रहणीय संपत्ति कर के दुगने के समान होगी। उक्त धाराएँ आगे यह उपबंधित करती है कि, ऐसा उद्ग्रहण किसी कार्यवाही के पूर्वग्रह के बिना होगा जो ऐसे अवैध संरचना के लिए ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध लिया जा सकेगा। यह भी उपबंधित है कि, कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण और शास्ति ऐसे अवैध संरचना या पुनर्संरचना चाहे उसके अवैध अस्तित्व अवधि के लिए, की नियमितिकरण होने का अर्थ नहीं लगाया जायेगा।

उक्त धाराओं की उप-धारा (२), यह उपबंध करती है कि उप-धारा (१) के अधीन उपबंधित शास्ति अवधारित और संग्रहित की जायेगी मानों कि देय रकम संपत्ति कर की बकाया थी।

२. यह देखा गया था कि, भवन के संनिर्माण के पश्चात्, फ्लॅटों और उसकी इकाईयों की अवैध विक्री के कुछ अनैतिक तत्त्वों के खरीददारों को जो फ्लॅटों की खरीद सच्चे विश्वास के अधीन करते है की ऐसा संनिर्माण विधि के अधीन सम्यकतया प्राधिकृत है । चूँकि शास्ति की रकम वसूलनीय है मानों कि संपत्ति कर का बकाया थी ऐसे खरीददारों को उनकी गलती न होते हुए शास्ति का भुगतान करना आवश्यक होता है।

३. इसलिए, यह उपबंध करने का प्रस्तावित था कि, संपत्ति कर की रकम के दो गुना शास्ति के उद्ग्रहण के बजाय, शास्ति की रकम ऐसा भवन जिसकी अधिकारिता के भीतर स्थित है, संबंधित निगम द्वारा विनिश्चित की जाये। इस शास्ति का उद्ग्रहण, ऐसे अवैध संरचना के संबंध में व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने से निगम को रोक नहीं सकता।

४. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ४९) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ३) ८ जनवरी २०१७ को प्रख्यापित किया था।

५. तत्पश्चात्, ६ मार्च २०१७ को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये, मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) विधेयक, २०१७ (सन् २०१७ का विधानसभा विधेयक क्रमांक २), १५ मार्च २०१७ को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था। तथापि, तत्पश्चात, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ७ अप्रैल २०१७ को सत्रापसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था।

६. भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर अर्थात् १६ अप्रैल २०१७ को प्रवृत्त होने से परिविरत हो जाएगा। इसलिये नये अध्यादेश के प्रख्यापन द्वारा उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया है ;

७. **क्योंकि** राज्य विधानमडंल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हें, सन् २०१७ का महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३ के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिये सद्य कार्यवाही करना, आवश्यक हुआ है। अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित ६ मई २०१७।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनीषा पाटणकर-म्हैसकर,
सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.